न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 28 / 2026 (GCMS : 2026/42)

लालचन्द पुत्र श्री बद्री प्रसाद जाति कुम्हार निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **प्रेमराज** पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **जयपाल** पुत्र श्री श्योनारायण जाति बिश्नोई निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **भागवन्ती** पत्नी श्री श्योनारायण जाति बिश्नोई निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **राजाराम** पुत्र रामरतन जाति बिश्नोई निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. **राधेश्याम** पुत्र श्योनारायण जाति बिश्नोई निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. **राधेश्याम** पुत्र श्री भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7. **रामचन्द्र** पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
8. **राम निवास** पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
9. **वेद प्रकाश** पुत्र श्री श्योनारायण जाति बिश्नोई निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
10. **शंकर लाल** पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.05.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुभाष मिढा एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि चक 58 एलएनपी जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 के खाता संख्या 58 [illegible] मुरब्बा नम्बर 13, 52 में कुल 8.855 हैक्टेयर नहरी भूमि में से [illegible] के नाम से 843 / 8855 हिस्सा भूमि व शेष हिस्सा अन्य प्रार्थीगण के नाम [illegible] अनुसार दर्ज है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त भू[illegible]वादी के पिता के नाम से [illegible] वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है उनके स्वर्गवास होने पर उक्त भूमि प्रार्थी व अन्य भाईयों के कब्जा काश्त में चली आ रही है। चक 58 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

52 किला नम्बर 23, 24 प्रत्येक सालम किला नम्बर 17, 18 प्रत्येक में 13–13 बिस्वा भूमि है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य करना चाहता है। जिस द्वारा कब्जा करने की कोशिश भी की गयी है। प्रार्थी ने उक्त भूमि में खर्चा करके समतल करवाया हुआ है तथा उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया गया है। इस सम्बन्ध में धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही भी लम्बित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उनके द्वारा 212 का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने किया गया था, जिस पर पीठासीन अधिकारी के संतुष्ट होने पर प्रश्नगत भूमि की मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये गये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी प्रेम राज द्वारा उक्त एक पक्षीय स्थगन को निरस्त करवाना चाहता है जिस वह उपखण्ड अधिकारी पर पूर्ण रूप से दबाव बना रहा है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा गांव में ऐलानियां यह कहा है कि जो स्थगन आदेश लालचन्द द्वारा जारी करवाया गया है, इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विधायक महोदय से निवेदन कर उपखण्ड अधिकारी पर पूर्ण रूप दबाव बना रखा है। उपखण्ड अधिकारी आगामी पेशी पर स्थगन आदेश को निष्प्रभावी करने के आदेश जारी कर देगें। इससे अप्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली पर पेशी नजदीक करते हुए स्थगन आदेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अनवान लालचन्द बनाम प्रेम राज आदि प्रकरण संख्या 258 / 2024 को अन्य समक्ष न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की हैं।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त किया है और अब उन्हें संदेह पैदा हो गया है, मात्र सन्देह मात्र से वे प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:54 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जबकि प्रार्थी प्रकरण में देरी करने के कारण अधीनस्थ न्यायलाय के सम्मन तलवाना पेश नही कर रहा है।

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2024 की पालना में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नहीं की जा रही है और मात्र प्रकरण में देरी करने के कारण, प्रार्थी द्वारा यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज करने लायक है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने फार्म 17 के साथ दस्तावेज पेश किये, शामिल मिसल किये गये।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 07.04.2026 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण संख्या 258 / 2024 अनवानी लालचन्द बनाम प्रेमराज को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव के कारण, प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। किसी व्यक्ति का मिलीभगत सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:54 IST
Reason: SelfAttested

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नही किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता। बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए'' को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:54 IST
Reason: SelfAttested